कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर)
रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
मोबाईल नं0-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102
E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

पत्रांक-1989

सेवा में,

श्री मोहन सिंह, लिपिक
श्रीमती शिवानी, विद्यालय अध्यापक
श्रीमती सुभद्रा कुमारी, विद्यालय अध्यापक
श्रीमती ऋतुराज, विद्यालय अध्यापक
सबा नाज, विद्यालय अध्यापक
आर0पी0सी0जे0 उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलवरघाट,
प्रखंड-गोरौल, जिला-वैशाली।

हाजीपुर, दिनांक-29/08/26

विषयः- स्पष्टीकरण के संबंध में।

प्रसंगः- प्रभारी प्रधानाध्यापक,आर0पी0सी0जे0 उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलवरघाट का पत्रांक 120 दिनांक 19.08.2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र अंकित करना है कि कार्यालय पत्रांक 1590 दिनांक 23.07.2026 द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा, वैशाली के जांच प्रतिवेदन के आधार पर आपके विद्यालय में कुल नामांकित 924 छात्र-छात्राओं के विरुद्ध मात्र 195 छात्र-छात्रा उपस्थित पाए जाने के कारण प्रभारी प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षकों एवं कर्मियों का वेतन स्थगित किया गया था।

प्रभारी प्रधानाध्यापक के पत्रांक 120 दिनांक 19.08.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति अब सामान्य हो गई है, परंतु आप सभी अर्थात लिपिक श्री मोहन सिंह एवं विद्यालय अध्यापक शिवानी, सुभद्रा कुमारी, ऋतुराज एवं सबा नाज द्वारा छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने एवं शैक्षणिक व्यवस्था में तनिक भी सहयोग नहीं किया जा रहा है।

प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार लिपिक श्री मोहन सिंह द्वारा वरीय पदाधिकारियों को फर्जी नाम से आवेदन देकर परेशान किया जाता है, विद्यालय में मर्जी से आना-जाना किया जाता है, फोन पर वार्तालाप किया जाता है एवं विद्यालय परिसर में नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है। साथ ही संबंधित चारों शिक्षकों द्वारा प्रभारी प्रधानाध्यापक के आदेशों की अवहेलना की जा रही है, पठन-पाठन में सहयोग नहीं किया जाता है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है, चेतना सत्र में भाग नहीं लिया जाता है, छात्रों को उकसाया जाता है तथा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है।

प्रभारी प्रधानाध्यापक के प्रतिवेदन के अनुसार जिला पदाधिकारी, वैशाली के स्पष्ट आदेश के उपरांत भी आप सभी द्वारा विद्यालय समय में मोबाइल कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है बल्कि हेडफोन लगाकर सोशल मीडिया का उपयोग एवं बातचीत की जाती है तथा विद्यालय समय में

P

सोने की प्रवृत्ति देखी गई है। यह समस्त कृत्य विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी अंकित है। दिनांक 19.07.2026 को मॉडल स्कूल उद्घाटन के अवसर पर माननीय विधायक द्वारा शिक्षक सदन के निरीक्षण के क्रम में कतिपय शिक्षिकाओं को सोशल मीडिया में लिप्त एवं सोते हुए पाया गया थे, जिस पर माननीय विधायक द्वारा भी गहरी नाराजगी व्यक्त की गई थी।

अतः आप सभी को निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 2 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित करें कि किन परिस्थितियों में आपके द्वारा उपरोक्त कृत्य किया गया एवं क्यों नहीं आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाए ? ससमय स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने अथवा असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और आपके विरुद्ध एकतरफा अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

विदित हो कि छात्र उपस्थिति सामान्य होने के आलोक में आप सभी पांच कर्मियों को छोड़कर कार्यालय पत्रांक 1590 दिनांक 23.07.2026 द्वारा के द्वारा वेतन भुगतान पर लगी रोक को विद्यालय के शेष सभी शिक्षकों एवं कर्मियों का इस शर्त पर हटाया जाता है कि भविष्य में यदि छात्रों के अधिकारों का हनन किया गया अथवा नियमों के विरुद्ध कार्य किया गया, तो बिना स्पष्टीकरण प्राप्त किए सीधे अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन

29.8.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
29/8/26

ज्ञापांकः-1989 हाजीपुर दिनांकः-29/08/26

प्रतिलिपिः- प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं सभी शिक्षक/कर्मी, आर0पी0सी0जे0 उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलवरघाट, प्रखंड-गोरौल जिला-वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गोरौल, जिला-वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त विद्यालय का स्थलीय जांच करते हुए उपरोक्त अरोप की जांच प्रतिवेदन 2 दिनों के अंदर कार्यालय को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

29.8.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
29/8/26